ANKIT
Page No.
Date

R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part IInd
Paper VIth
Environmental Law

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

(1) यह अधिनियम एक सामर्थ्यकारी विधि है जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है और साथ ही साथ जल की स्वास्थ्यप्रदता या गुणवत्ता को बनाये रखना अथवा पूर्वावस्था में लाना है।

(2) यह अधिनियम भारतीय पर्यावरणीय विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है जिसमें प्रदूषण की विस्तृत शब्दावली में परिभाषा की गयी है। प्रदूषण से जल के संदूषण अथवा जल के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में ह्रास है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो लोक स्वास्थ्य अथवा सभी जीव-जन्तुओं के लिए हानिकर है।

(3) इसमें झरने जल स्रोत (चाहे प्रवाहित हो अथवा कुछ समय के लिए सूख गये हों) अंतर्देशीय जल, भूमिगत जल, समुद्र या ज्वारीय जल सम्मिलित है।

(4) अधिनियम में दिये गये उद्देश्यों की पूरा करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड और संयुक्त बोर्डों की स्थापना की गयी है। केन्द्रीय बोर्ड सन् 1982 से सरकार के पर्यावरण, वन और

Scanned with CamScanner

वन्य जीवन विभाग से सम्बद्ध है और यह केन्द्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण पर परामर्श देने से लेकर राज्य नियंत्रण बोर्डों के कार्यों में समन्वय जाँच पड़ताल एवं शोध, मल एवं व्यापार बहिस्राव का निर्माण तक का कार्य करता है। दूसरी तरफ राज्य नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के अनुदेशों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदूषण के लिए मानक एवं उद्योगों के लिए सहमति आदेश पारित करता है।

(5) केन्द्रीय बोर्ड केन्द्र शासित राज्य में राज्य बोर्डों की भाँति कार्य करता है।

(6) बोर्ड झरनों, कुओं, मल, व्यापार बहिस्राव के जल के नमूनों की जाँच हेतु प्रयोगशालाओं को स्थापित करने अथवा मान्यता देने के लिए अधिकृत है।

(7) जल प्रदूषण एवं नियंत्रण हेतु व्यापक योजना दी गयी है जो अनुमति प्रणाली और सहमति प्रक्रिया पर आधारित है।

(8) राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा विषैले अथवा प्रदूषक तत्वों को झरनों, कुओं, मल-जल आदि में छोड़ना निषिद्ध है और इसलिए अपराध है।

(9) उद्योग लगाने के पूर्व राज्य बोर्ड की सहमति आवश्यक है जो उचित जाँच पड़ताल एवं संतुष्टि पर दी जाएगी और यह सशर्त हो सकती है और उतनी ही अवधि तक वैध होगी जब तक के लिए दी गयी है।

Scanned with CamScanner

(10) जान-बूझकर अथवा इच्छापूर्वक सहमति पाने के लिए मिथ्या बयान तीन माह के कारावास अथवा 10 हजार के अर्थदंड दोनों से दण्डनीय बनाया गया है।

(11) सन् 1988 में किये गये संशोधन द्वारा केन्द्र और राज्य बोर्डों की शक्तियों में वृद्धि की गयी है और नागरिक मुकदमा का उपबन्ध किया गया है। इससे अधिनियम की प्रवर्तनीयता ज्यादा प्रभावकारी बन गया है।

जल-प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (धारा-19-33क) :-

अधिनियम के भाग 5 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबन्धित उपबन्धों का वर्णन किया गया है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्बद्ध है:-

(i) राज्य सरकार (धारा 19, 28, 29)

(ii) प्रदूषक (24, 25, 26 और 31)

(iii) राज्य बोर्ड (धारा 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33 और 33क)

(iv) अपीलीय प्राधिकारी (धारा 28)